संख्या-52/2024/1715/477/18-2-2024

प्रेषक,

प्रांजल यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0 प्र0, कानपुर।

3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 अक्टूबर, 2024

विषय :- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri YUVA) की राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट-SPMU) हेतु मुख्यालय एवं फील्ड स्तर पर मिशन कार्यालय में अस्थायी पदों के संबंध में।

महोदय,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या- 49/2024/1650/477/18-2-2024 दिनांक 04.10.2024 द्वारा प्रख्यापित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri YUVA) योजना के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट-SPMU) के मुख्यालय एवं फील्ड स्तर पर मिशन कार्यालय के संचालन हेतु श्री राज्यपाल योजना के चालू रहने तक निम्न विवरणानुसार अस्थायी पदों के सृजन किये जाने पर सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

क्र. स.	पदनाम	पदो की सं./प्रकृति	अर्हता	वेतन प्रतिमाह	भर्ती का स्रोत
1	मिशन डायरेक्टर	01 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	आईएएस संवर्ग में न्यूनतम जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारी	पैतृक विभाग के वेतनमान के अनुसार	प्रतिनियुक्ति
2	एडिशनल मिशन डायरेक्टर	01 अस्थायी (योजना के चालू रहने	आईएएस अथवा पीसीएस संवर्ग के अधिकारी जिन्हें मुख्य विकास अधिकारी अथवा समकक्ष ऐसे पदों पर जिनमें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के	तदैव	प्रतिनियुक्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		तक)	माध्यम से ऋण संबंधी योजनाओं के संचालन/ कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव हो		
3	ज्वाइंट मिशन डायरेक्टर	04 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	एमएसएमई विभाग अथवा ऐसे किसी अन्य विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रू. 7600/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12 के अनुवर्ती स्तर में रू. 88700/- पर कार्यरत एवं बैंकोंवितीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण संबंधी योजनाओं के संचालन/ कार्य करने का अनुभव हो	तदैव	प्रतिनियुक्ति
4	महाप्रबंधक वित्त	01 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	वित्त विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रू. 7600/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12 के अनुवर्ती स्तर में रू. 88700/- पर कार्यरत एवं कम से कम 100 करोड़ के वार्षिक बजट वाले संस्थान/विभाग में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव	तदैव	प्रतिनियुक्ति
5	वित्त एवं लेखाधिकारी	01 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	वित्त विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रू. 5400/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10 के अनुवर्ती स्तर में रू. 63100/- पर कार्यरत एवं कम से कम 50 करोड़ के वार्षिक बजट वाले संस्थान/विभाग में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव	तदैव	प्रतिनियुक्ति
6	सहायक लेखाधिकारी	04 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	वित्त विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रू. 4800/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-8 के अनुवर्ती स्तर में रू0 53600/- पर कार्यरत	तदैव	प्रतिनियुक्ति
7	डिप्टी मिशन डायरेक्टर	04 अस्थायी (योजना के चालू रहने तक)	एमएसएमई विभाग अथवा ऐसे किसी अन्य विभाग में न्यूनतम ग्रेड वेतन रू. 6600/-के पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवेल-11 के अनुवर्ती स्तर में रू. 76200/- पर कार्यरत एवं बैंकोंवितीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण संबंधी योजनाओं के संचालन/ कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव हो	तदैव	प्रतिनियुक्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	मुख्यमंत्री युवा फेलो	160 (150+10)सेवा आउटसोर्स	स्नातक	रू0 30000.00 रू0 10000.00 (भ्रमण भत्ता)	आउटसोर्सिंग
9	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	85 (75+10) सेवा आउटसोर्स	कम्प्यूटर का न्यूनतम सीसीसी प्रमाण-पत्र एवं टायपिंग एवं ऑनलाईन पोर्टल संचालित करने का 02 वर्ष का अनुभव	रू0 15000.00	आउटसोर्सिंग

2- उक्त पदों पर आने वाला व्यय-भार योजना हेतु प्राविधानित बजट से किया जायेगा।

3- उक्त पदों के संबंध में वित्त, कार्मिक एवं श्रम विभाग द्वारा निर्गत तथा समय-समय पर यथासंशोधित सुसंगत नियम लागू होंगे।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रांजल यादव
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रांजल यादव
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।